नगर निगम, वाराणसी।

नगर निगम (सदन) अधिवेशन की स्थगित बैठक दिनांक 16.01.2019 मध्यान्ह् 12.00 बजे की कार्यवाही जो मैदागिन स्थित टाउनहाल में सम्पन्न हुई की कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्रीमती मृदुला जायसवाल, अध्यक्ष/महापौर।

2.	श्री राजेश कुमार	पार्षद	3.	श्री वृजेश चन्द्र	पार्षद
4.	श्री सुनील	पार्षद	5.	श्री जय सोनकर	पार्षद
6.	श्री विजय सोनकर	पार्षद	7.	श्री संजय गुप्ता	पार्षद
8.	श्री रविन्द्र सिंह	पार्षद	9.	श्री विनीत सिंह	पार्षद
10.	श्रीमती सीता शर्मा	पार्षद	11	श्री दिनेश यादव	पार्षद
12.	श्री अशोक मौर्या	पार्षद	13	श्री सुशील गुप्ता	पार्षद
14.	श्रीमती कौशल्या देवी	पार्षद	15	श्रीमती पूनम विश्वकर्मा	पार्षद
16.	श्री गोपाल	पार्षद	17	श्रीमती विजय श्री	पार्षद
18.	श्रीमती रेहाना	पार्षद	19	श्री बृजराज कुँवर	पार्षद
20.	श्री इन्द्र देव पटवा	पार्षद	21	श्रीमती वन्दना	पार्षद
22.	श्रीमती शीला भारद्वाज	पार्षद	23	श्री शंकर साहू	पार्षद
24.	श्री इन्द्र बहादुर	पार्षद	25	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्या	पार्षद
26.	श्रीमती शशि यादव	पार्षद	27	श्रीमती मीरा	पार्षद
28.	श्रीमती प्रीति चौबे	पार्षद	29	श्री संदीप श्रीवास्तव	पार्षद
30.	श्री रियाजुद्दीन	पार्षद	31	श्री विनय कुमार	पार्षद
32.	श्री मोहम्मद ओकास	पार्षद	33	श्री राजेश केशरी	पार्षद
34.	श्री रोहित	पार्षद	35	श्री शिवप्रकाश	पार्षद
36.	श्री कृष्णकांत	पार्षद	37	श्री संजय	पार्षद
38.	श्री सुनील यादव	पार्षद	39	श्री श्याम आसरे मौर्य	पार्षद
40.	श्री पूर्णमासी गुप्ता	पार्षद	41	श्री अजीत सिंह	पार्षद
42.	श्री सुरेश कुमार चौरसिया	पार्षद	43	श्री सीताराम केशरी	पार्षद
44.	श्रीमती विजेता चौधरी	पार्षद	45	श्रीमती अलीशा सोनी	पार्षद
46.	श्री लकी वर्मा	पार्षद	47	श्री रियाजुद्दीन	पार्षद
48.	श्री राजेश यादव	पार्षद	49	श्री गोपाल यादव	पार्षद
50.	श्री अफजाल	पार्षद	51	श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी	पार्षद
52.	श्री अंकित यादव	पार्षद	53	श्री हारून अंसारी	पार्षद
54.	श्री मनोज यादव	पार्षद	55	श्री प्रदीप कुमार	पार्षद
56	श्री मनोज सिंह	पार्षद	57	श्रीमती मलका नूरजहाँ	पार्षद
58	श्री तूफैल	पार्षद	59	श्री रमजान अली	पार्षद
60	श्री नरसिंह दास	पार्षद	61	श्रीमती रेशमा परवीन	पार्षद
62	श्री सन्तोष शर्मा	पार्षद	63	श्री विपुल गुजराती	पार्षद
64	श्री बेलाल अहमद	पार्षद	65	श्रीमती नूरजहाँ	पार्षद
66	श्रीमती गुलराना	पार्षद	67	श्रीमती परवीन	पार्षद
68.	श्री संदीप त्रिपाठी				

Mridula
महापौर

अन्य उपस्थित

1. डॉ0 नितिन बंसल, नगर आयुक्त।
2. श्री अजय कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त।
3. श्री अनूप कुमार वाजपेयी, अपर नगर आयुक्त।
4. श्री रमेश चन्द्र सिंह, अपर नगर आयुक्त।
5. श्री राकेश कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त।
6. डॉ0 जी0एल0 केशरवानी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
7. डॉ0 ए0के0 दूबे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
8. श्री बी0के0 सिंह, महाप्रबन्धक जलकल।
9. श्री विवेक सिंह,. मुख्य नगर लेखा परीक्षक।
10. श्री लोकेश जैन, अधिशासी अभियंता।
11. श्री अरविन्द श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता।
12. श्री अजय राम, प्रभारी अधिकारी आलोक।
13. डॉ0 असलम अंसारी, अपर निदेशक पशुचिकित्सालय।
14. श्री विनय कुमार राय, तहसीलदार।
15. श्री रघुवेन्द्र कुमार, सचिव जलकल।
16. श्री महेश चन्द्र आजाद, अधिशासी अभियंता।
17. श्री विमल कुमार, अधिशासी अभियंता।
18. श्री सिद्धार्थ कुमार, अधिशासी अभियंता।

अध्यक्ष– नगर निगम अधिवेशन दिनांक 26.12.2018 की स्थगित बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व वन्देमातरम गीत गाया जाय। (तत्पश्चात वन्देमातरम गीत गाया गया)
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

श्री बेलाल अहमद– अध्यक्ष महोदया मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष– श्री बेलाल अहमद अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री बेलाल अहमद– अध्यक्ष महोदया सर्वश्री रियाजुददीन अंसारी, अजीत सिह, सुनील यादव, हाजी ओकास अंसारी, रियाजुददीन, मनोज सिंह व बेलाल अहमद द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ–

" सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आदमपुर जोन पर जोनल अधिकारी द्वारा गलत निर्णय दिया जा रहा है, भवन संख्या जे0–14/56–1क, संचिका जे0–354/16 दा0खा0 के सन्दर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ कि उपरोक्त मकान पर जाहेदा बीबी का फर्जी बंटवारा दिखाकर नाम अंकित कर दिया गया जब जाहेदा बीबी को जानकारी मिली कि मेरे मकान को फर्जी बंटवारा दिखाकर नाम अंकित कर लिये है तो जाहेदा बीबी ने रजिस्ट्री प्रति के साथ आवेदन किया कि रजिस्ट्री के आधार पर मेरा नाम अंकित किया जाये तो जोनल अधिकारी ने उन्हें डांटकर भगा दिया और फर्जी बंटवारे वाले लोगों का नाम चढ़ा दिये और मेरे बैनामें को फर्जी मानकर आवेदन निरस्त कर दिये।

अतः आज की बैठक में नगर आयुक्त को आदेशित किया जाता है, कि भवन संख्या जे0–14/56–4 क संचिका संख्या जे0–354/16 दा0खा0 के मामले में जोनल अधिकारी आदमपुर द्वारा जो फैसला किया गया है से अपने या किसी अन्य अधिकारी से विधिवत् जांच कराकर न्याय दिलाने का कष्ट करें। साथ ही जानकारी मिली है कि उक्त भवन पर 1,24,000.00 रूपये के करीब बकाया है। बगैर बकाया जमा कराये जल्दी–जल्दी फैसला कर दिया गया।

भवन संख्या–जे0–14/56, संचिका संख्या जे0–356/16/एम0 की जॉच कराकर सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जाय एवं धारा 213(ग) के तहत इसे संशोधन किया जाय।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है, जोनल अधिकारी (आदमपुर) द्वारा लगातार गलत फैसले किये जा रहा है, इस सम्बन्ध में संदन गम्भीर है, आपसे अपेक्षा है, कि इसपर निर्णय करें।

अध्यक्ष नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

श्री अनूप कुमार वाजपेयी– अध्यक्ष महोदया नगर आयुक्त सदन के लिए आ रहे है जाम में फसे है।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया तब तक आगे के प्रस्ताव पर चर्चा किया जाय।

अध्यक्ष– प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम को देखते हुए एवं अधिकारियो की व्यस्तता के दृष्टिगत सदन सहमत हो तो 91(2) के सारे विकास सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिये जाय क्यों कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में केवल 04 दिन ही शेष रह गये है। सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध है, कि कम शब्दो में अपनी बात को सदन में रखने का प्रयास करें।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया विकास सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिया जाय हम सब लोग सहमत है।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया पहले पुष्टिकरण करा लिया जाय नगर आयुक्त नही है जबाब कौन देगा।

श्री रमेश चन्द्र सिंह–अपर नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया आपकी अनुमति से जबाब दिया जायेगा।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया नगर आयुक्त द्वारा 91(1) के तहत एक प्रस्ताव लाया गया था कि जो आवारा पशु विचरण करते है पहली बार पकड़े जाने पर उनके मालिक से 1000 रूपया व दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रूपया जुर्माने के रूप में वसूल किया जायेगा। वर्ष 2004 में राज्य सरकार द्वारा एक गजट जारी किया गया है जिसमें रू0 500 का प्राविधान किया गया है क्या हम राज्य सरकार के नियमावली का पालन नही करेगे। गाय अप्रदूषण पशु नही है। इसे रू0 500 कर दिया जाय।

श्री शंकर साहू– अध्यक्ष महोदया गाय व अन्य जानवर गलियों एवं सड़को को गन्दा करते है, ऐसे पशु पालको के उपर जुर्माना होना चाहिए, जैसे मलबे पर जुर्माना लगाते है उसी तरह इनके उपर भी जुर्माना लगाया जाय।

श्री अफजाल अंसारी– अध्यक्ष महोदया जुर्माना का मुददा महत्वपूर्ण नही है, आगे के प्रस्ताव पर चर्चा किया जाय।

अध्यक्ष– इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश है तो अपर नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

श्री रमेश चन्द्र सिंह–अपर नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया मेरे संज्ञान में ऐसा कोई शासनादेश नही है। यह प्रस्ताव मा0 सदन द्वारा पूर्व में पारित हो चुका है, जहॉ तक संशोधन करने की बात है, नियमानुसार पारित प्रस्ताव पर 06 माह के पूर्व कोई संशोधन किया जाना सम्भव नही है।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया 91(1) के तहत यह प्रस्ताव लाया गया था, सदन में विधिवत चर्चा होने के पश्चात इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, उसके बाद संशोधन करने की बात कही जा रही है, अगर किसी पारित प्रस्ताव में संशोधन करना है तो प्रस्ताव के जरिये ही संशोधन किया जा सकता है, यह नियम संगत होगा।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया क्या हम शासन की बात को नही मानेगे।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया शासन की बात करके सदन की अवहेलना न की जाय।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

श्री मनोज यादव– अध्यक्ष महोदया श्री राजेश यादव के बातो का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि जुर्माने की धनराशि अधिक है, इसमें संशोधन कर इसे रू0 500 रखा जाना उचित होगा।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया एक्ट के तहत हम रू0 500 से ज्यादा नही ले सकते है।

अध्यक्ष– पशु जो पालता है, जिसके द्वारा पशु छोड़ दिया जाता है, जुर्माना उसे देना है।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति हो तो सदन में अपर निदेशक, पशु से स्पष्ट करा लिया जाय।

अध्यक्ष– अपर निदेशक पशु स्पष्ट करें।

श्री असलम अंसारी–अपर निदेशक पशु–अध्यक्ष महोदया कैटिल ट्रेस पास अधिनियम 1871 में जानवरो को पकड़ने का प्राविधान दिया गया है, इसी प्रकार से प्रिवेन्शन ऑफ एनिमल क्वेलिटी अधिनियम 1960 में प्राविधान किया गया है कि कोई भी पशु पालक अपने पशु को किसी सार्वजनिक स्थल पर विचरण करने के लिए छोड़ता है तो उसे इस अधिनियम के तहत पकड़ा जा सकता है वह पशु कुरता है, उसे नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेना पड़ेगा, अनुज्ञप्ति न लेने पर पशु के गन्दगी करने एवं सार्वजनिक स्थल पर विचरण करने पर नगर निगम को अधिकार है कि ऐसे पशु का चालन कर मा0 न्यायालय में भेज सकता है, मा0 न्यायालय चालान के रूप में रू0 50 से लेकर रू0 500 जुर्माना कर सकती है। मा0 न्यायालय के आदेश से छुटे हुए पशु पालको के पुनः अपराध करने पर यह चालान की धनराशि मा0 न्यायालय के आदेशानुसार रू0 500 प्रतिदिन भी ली जा सकती है, यह मा0 कोर्ट का निर्णय है। शासन के आदेश के अनुसार पशु पालन हेतु कैटिल कालोनी का निर्माण कराया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किया गया है कि ऐसे अवारा पशुओ को दिनांक 20.01.2019 से दिनांक 05.02.2019 तक अभियान चलाकर वाराणसी शहर से बाहर किया जाय।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया 2004 के बाद से कोई शासनादेश है तो उसे सदन के पटल पर रखवाया जाय।

श्री असलम अंसारी–अपर निदेशक पशु– अध्यक्ष महोदया रू0 500 की धनराशि मा0 न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माना स्वरूप है।

अध्यक्ष–नगर आयुक्त स्पष्ट करें

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया दो तरीके से जुर्माना लेने की बात है, पहला मा0 न्यायालय के आदेशानुसार यह धनराशि रू0 500 जुर्माना स्वरूप दूसरा प्रशासनिक चालान के तहत पशु पकड़े जाने पर पहली बार काजी हाउस में रखने पर रू0 1000 चालान स्वरूप ली जायेगी। यह प्रस्ताव पारित हो चुका है, दोबारा प्रस्ताव लाने पर संशोधन किया जा सकता है।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है, दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा करवाया जाय।

श्री अफजाल अंसारी– अध्यक्ष महोदया प्रवासी भारतीय सम्मेलन सन्निकट है, गलियों, मुहल्लो एवं सड़को पर तमाम आवारा पशु धुम रहे है इनसे प्रायः दुघर्टनाये भी हो रही है इसके दृष्टिगत इस प्रस्ताव पर सदन सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, ऐसे पशु पालको को चिन्हित कर दण्डित किया जाय।

श्री मनोज सिंह– अध्यक्ष महोदया पशु पालको की जिम्मेदारी है, वे अपने पशुओ को अपने गोशाला में रखे एवं विचरण करने पर रोके, इस विषय पर चर्चा न की जाय। इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया छोटी पियरी स्थित हीरापुर में डा0 अनुराग टण्डन एवं श्रीमती शालिनी टण्डन के निवास के पास पार्क है जिसमें आवारा पशु प्रायः रहते है व इनका कब्जा हो गया है जिसके कारण छोटे–छोटे बच्चे खेल नही पाते है, पार्क की भी क्षति हो रही है इसे सुदृढ किया जाय एवं आवारा पशुओ से कब्जा मुक्त किया जाय।

श्री अंकित यादव– अध्यक्ष महोदया सूरज कुण्ड पोखरा का पानी गन्दा है, जिसके कारण महकता है, इसकी सफाई करायी जाय।

अध्यक्ष–मा0 सदस्य प्रस्ताव लाकर चर्चा करें।

Mridula
महापौर

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया प्रत्येक मा0 पार्षद के क्षेत्र में रू0 25 लाख का कार्य कब तक होगा।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया पशुओ के जुर्माने पर अनुपालन न किया जाय।

श्री अजीत सिह– अध्यक्ष महोदया यह कैसे सम्भव होगा। सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुपालन न किया जाना सदन की अवहेलना होगी। इस विषय पर अब कोई निर्णय नही किया जा सकता है।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या 40 जो नगर निगम के दूकानो के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया श्री विनय कुमार राय, तहसीलदार दुकानो के सम्बन्ध में सदन को अवगत करायेगे।

श्री विनय कुमार राय–तहसीलदार– अध्यक्ष महोदया नगर निगम के दुकानो के किराये की दरे अत्यन्त कम है जो बहुत ही पुरानी है, वर्ष 1997 के शासनादेश के कम में नगर निगम के दुकानो की आय अत्यन्त कम है जिसमें आय बढ़ाने हेतु बाजार रेट अथवा जिलाधिकारी के सर्किट रेट के अनुसार किराया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव है जिसकी स्वीकृति सदन से अपेक्षित है।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया 91(1) के तहत यह प्रस्ताव लाया गया था, नगर निगम के हितो को देखते हुए नगर निगम के दुकानो के किराये में वृद्धि की गयी थी, जिसपर व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियो द्वारा नगर निगम के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए किराया न बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। मै सदन के साथियो से अनुरोध करता हूँ कि इसपर विचार कर लें, इस सम्बन्ध में एक कमेटी सदन से बन जाय जो प्रस्ताव देगी तब इसपर निर्णय किया जाय।

श्री मनोज यादव– अध्यक्ष महोदया श्री राजेश यादव के विचार पर मैं सहमत हूँ।

श्री राजेश केशरी– अध्यक्ष महोदया नगर निगम अधिनियम की धारा 95 में विशेष समितियों तथा संयुक्त समितियों के गठन का प्राविधान किया गया है। इसी के तहत दुकानो के किरायो के वृद्धि के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाय। समिति द्वारा रेट के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव बनाकर देगी जिसपर विचार कर निर्णय लिया जाय।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया दुकानो के किराये वृद्धि को लेकर सदस्य भ्रमित है, निश्चित रूप से दुकानो का किराया बढ़ना चाहिए परन्तु यह दुकानो के किराये बढ़ाने का आधार क्या है, कब–कब किराया बढ़ाया गया, क्या सभी दुकानो का किराया एकही है, पहले इसपर निर्णय हो, नगर आयुक्त के माध्यम से दुकानो का किराया बढ़ाने का प्राविधान है, समिति का गठन कर लिया जाय सदन सहमत है।

श्री अनीसुर्रहमान–अध्यक्ष महोदया जो प्रस्ताव पारित हुआ है, वह ठीक है, किराया कम न किया जाय।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें किराये के दरो का क्या आधार है, कब–कब किराया बढ़ाया गया।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया श्री विनय कुमार राय, तहसीलदार दुकानो के सम्बन्ध में सदन को अवगत करायेगे।

श्री विनय कुमार राय–तहसीलदार– अध्यक्ष महोदया नगर निगम के दुकानो के किराये की दरे अत्यन्त कम है जो बहुत ही पुरानी है, वर्ष 1997 के शासनादेश के कम में प्रत्येक 05 वर्ष पर 12.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1997 से किराये में वृद्धि नही हुई है, शासन द्वारा नगर निकायो को मजबूत होने एवं आय बढ़ाने पर निरन्तर बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कई आदेश जारी किये गये। नगर निगम के दुकानो की आय अत्यन्त कम है। नगर निगम हित में वर्तमान किरायेदर में वृद्धि हेतु प्रस्ताव दिया गया है जो बाजार रेट अथवा जिलाधिकारी के सर्किट रेट के अनुसार होगा इसपर सदन को निर्णय लेना है।

श्री श्याम आसरे– अध्यक्ष महोदया किराये को लेकर शहर के व्यापारियो द्वारा गेट पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया था इस सम्बन्ध में यह जानकारी करा ली जाय कि अन्य नगर निगमों में दुकानो की दरे क्या है। सम्पत्ति कर नई नियमावली वर्ष 2014 से प्रभावित है जिसमें आवासीय उपयोग का किराये भी 05 गुना वृद्धि की गयी है। अन्य नगर निगमों को देखकर कार्यवाही की जाय।

Mridula

श्री नरसिंह दास– अध्यक्ष महोदया नगर निगम की दुकानो के किराये वृद्धि को लेकर कार्यकारिणी समिति में गहन चिन्तन करने के बाद निर्णय लिया गया था, दरो की वृद्धि अखबारो में छपने के कारण शहर के व्यवसासियो द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। काफी समय से दुकानो के किराये में वृद्धि नही हुई है, आय बढ़नी चाहिए हम सहमत है, गलती हमारी व्यवस्था में है। 05 वर्ष में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से किराया लेना है, नामान्तरण की दरें निर्धारित की गयी है, अलग–अलग दुकानो की दरें निर्धारित है जल्दबाजी में कोई निर्णय न हो जिससे व्यवसायी मा0 न्यायालय में चले जाय, इस विषय में भी गम्भीरता से चिन्तन करके ही निर्णय हो अन्यथा जो किराया मिल रहा है कही वह भी न मिले।

श्री राजेश केशरी–अध्यक्ष महोदया दुकानो के किराये के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से एक कमेटी बना ली जाय जो गहन चिन्तन कर अपनी रिर्पोट दें उसके बाद इस प्रस्ताव पर निर्णय हो।

श्री सुरेश चौरसिया– अध्यक्ष महोदया विशेश्वरगंज मण्डी में सारे दुकानदार दुकानो के आगे बढ़कर घेर लिये है यह किसकी सहमति से हुआ है, दुकानो के नामान्तरण में काफी धनराशि लेकर अधिकारी व कर्मचारी नामान्तरण कर रहे है, हमारी दुकानो पर शिकमी किरायेदार काफी संख्या में दुकानो का संचालन कर रहे है, पहले शिकमी किरायेदार से दुकान खाली कराने के बाद नये सिरे से दुकानो का आवण्टन किया जाय। इसपर भी गहन चिन्तन होना चाहिए। जगह–जगह का अलग–अलग किराया है इसपर कमेटी बनाकर अध्ययन करने के बाद निर्णय किया जाय।

श्री शंकर साहू– अध्यक्ष महोदया अभी तक दुकानो की सूची नही दी गयी इसे उपलब्ध कराया जाय जिससे पता चले कि कहा–कहॉ हमारी दुकाने है। इस निर्णय में व्यापारी नेताओ को भी सम्मिलित किया जाय।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया नगर आयुक्त चिन्तित है कि निगम की आय बढ़े, कई वर्षो से दुकानो की आय में वृद्धि नही हुई है। इस सम्बन्ध में 05 सदस्यीय कमेटी बनायी जाय। आप अपनी तरफ से सदस्यो का चयन कर लें इसपर सदन सहमत है।

अध्यक्ष– सदन गम्भीर है कि नगर निगम की आय बढ़ें, इसपर एक कमेटी बने जो कमेटी का प्रस्ताव आयेगा उसके बाद निर्णय किया जाय इसपर सारे सदस्य सहमत है। मैं 05 सदस्यो की कमेटी बनाकर परिषद कार्यालय को अवगत करा दूँगी।

श्री बेलाल अहमद – अध्यक्ष महोदया भवन संख्या जे0–14/56–1क, संचिका जे0–354/16 दा0खा0 जाहेदा बीबी ने पंजीकृत बैनामा के साथ आवेदन किया था परन्तु बैनामा को फर्जी मानकर जोनल अधिकारी आदमपुर द्वारा गलत फैसला कर दिया गया जब कि उक्त भवन पर नगर निगम का गृहकर रू0. 1,24,000.00 बकाया है इसकी जॉच कराकर आदेश पारित किया जाय, बिना बकाया जमा कराये कैसे फैसला कर दिया गया, इनके भ्रष्टाचार की भी जॉच की जाय।

अध्यक्ष– भवनो के नामान्तरण की बात केवल आदमपुर जोन की ही नही है इसी तरह की शिकायत अन्य जोनो से भी प्राप्त होती है, जोनल अधिकारी मनमाने तरीके से नामान्तरण व वरासतन की कार्यवाही करते है। श्री बेलाल अहमद द्वारा भवन संख्या जे0–14/56–1क, संचिका जे0–354/16 दा0खा0 के सम्बन्ध में जो शिकायत की गयी है नगर आयुक्त उसकी जॉच कराकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही करे ताकि इस तरह से कोई अधिकारी दोबारा गलत आदेश पारित न करें।

नगर आयुक्त 91(1) का प्रस्ताव प्रस्तुत करायें।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

मद संख्या 01 दिनांक 10.12.2018	संकल्प संख्या
नगर निगम सीमान्तर्गत चिन्हित 32 वार्डो को स्वच्छ रखने, ठोस अपशिष्ट संग्रह करने, स्ट्रीट स्वीपिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए एजेन्सी का चयन वित्तीय निविदा के माध्यम से तुलनात्मक विवरण के अनुसार सर्वन्यून निविदादाता मे0 कियाना सल्यूशन एण्ड सर्विसेज प्रा0लि0, वराणसी के न्यूनतम दर कुल रूपया 52,78,34,796.00 (रूपया बावन करोड अठहत्तर लाख चौतिस हजार सात सौ छानबे मात्र) जिसमें प्रथम वर्ष करसड़ा प्लाण्ट हेतु रूपया 16,80,58,176.00 द्वितीय वर्ष के लिए भवनिया पोखरी हेतु रूपया 17,38,99,176.00 एवं तृतीय वर्ष के लिए भवनिया पोखरी हेतु रूपया 18,58,77,444.00 के पक्ष में कुल तीन वर्षो हेतु दिया जाना है। कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता की दृष्टिगत नगर निगम के 32 वार्डो (64, 70, 29, 11, 14, 13, 31, 40, 19, 09, 25, 48, 23, 45, 27, 59, 37, 24, 28, 61, 67, 73, 72, 62, 60, 76, 65, 54, 79, 74, 47 एवं 42) में स्वच्छ रखने, ठोस अपशिष्ट संग्रह, स्ट्रीट स्वीपिंग एवं ट्रांसपोटेशन कार्य के लिए प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।	**शंकर साहू** अध्यक्ष महोदया में0 कियाना सल्यूशन एण्ड सर्विसेज प्रा0लि0, वराणसी का कार्य ठीक नही है, इनके कर्मचारी घर–घर से कूड़ा नही ले पा रहे थे कम्पनी के कर्मचारियो से बेहतर हमारे नगर निगम के कर्मचारी है, नगर निगम के कर्मचारियो से ही कार्य लिया जाय आवश्यकता पड़े तो सेवा प्रदाता से मैन पावर बढ़ा लिया जाय। **अशोक मौर्या–** अध्यक्ष महोदया कियाना सल्यूशन कम्पनी द्वारा कूड़ा उठाने के एवज में 50 रूपया यूजर चार्ज के रूप में लिया जा रहा था, परन्तु इनका कार्य ठीक नही है, इनसे कार्य न लिया जाय। उपरोक्त बात का समर्थन श्री राजेश कुमार द्वारा किया गया। **ओकास अंसारी–** अध्यक्ष महोदया 32 वार्डो हेतु 52.78 करोड़ का प्रस्ताव कियाना कम्पनी से कार्य लेने हेतु रखा गया है, इनका कार्य ठीक नही है, शासन के पैसे का दुरूपयोग होगा। **श्री हारून अंसारी** – अध्यक्ष महोदया जिस वार्ड में कियाना के कर्मचारी कार्य कर रहे है वहॉ के पार्षद अंसतुष्ट है, आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी वार्डो में नही है, 10000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी रखने का मानक है। सफाई कर्मियो की संख्या कम है 400 सफाई कर्मचारी सभी वार्डो में रखे जाय , कियाना कम्पनी से कार्य न लिया जाय, शासन के धनराशि का दुरूपयोग होगा। उपरोक्त बातों का समर्थन श्री दिनेश यादव द्वारा भी किया गया।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया 14 वार्डो में आई0एल0एफ0एस0 कार्य कर रही है, इसका कार्य अच्छा है, कियाना को कार्य न देकर आई0एल0एफ0एस0 से कार्य लिया जाय क्यो जहॉ–जहॉ कियाना के कर्मचारी कार्य कर रहे है कोई भी पार्षद संतुष्ट नही है।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया शहर की स्वच्छता को लेकर वाराणसी के सांसद एवं मा0 प्रधान मंत्री जी चिन्तित है कि किस तरह से शहर करे साफ–सुथरा रखा जाय परन्तु शहर की सफाई व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नही हो पा रही है जिन–जिन कम्पनियों के माध्यम से शहर की सफाई की जिम्मेदारी दी गयी है जिसमें कियानाा कम्पनी भी है जिसके कार्य से कोई भी पार्षद संतुष्ट नही है। 32 वार्डो में इसी कम्पनी के द्वारा पुनः सफाई की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो उचित नही है। आई0एल0एफ0एस0 कम्पनी का कार्य ठीक है, सदन सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि आई0एल0एफ0एस0 या अन्य कम्पनी से वार्ता कर सफाई के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

श्रीमती नूरजहॉ– अध्यक्ष महोदया मेरे वार्ड में मात्र 04 सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियो की संख्या बढ़ायी जाय इस सम्बन्ध में मैने पहले भी सदन का ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया आगांगज में 05 सफाई कर्मचारी कार्यरत है, सफाई कर्मचारी बढाये जाय।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी– अध्यक्ष महोदया नदेसर वार्ड से और सफाई कर्मचारी भेजे जा रहे है, कर्मचारियो की संख्या बढ़ायी जा रही है।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त अपने स्तर से गम्भीरता से लें, जहॉ–जहॉ जिस वार्ड में सफाई कर्मचारियो की संख्या कमी है और सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है, जरूरत के हिसाब से सफाई कर्मचारियो की संख्या बढ़ाये जिससे कोई समस्या न आये।

श्री रवीन्द्र सिंह– अध्यक्ष महोदया नगवॉ वार्ड में सफाई कर्मचारियो की संख्या कम है, वार्ड में सफाई की स्थिति ठीक नही है, कियाना व यूकोपाल का कार्य समाप्त हो गया है, दो कम्पनी ने टेण्डर डाला है, हमें सफाई चाहिए कार्य कोई करें। किस विहाफ़ में कियाना को कार्य दे रहे है स्पष्ट करायें।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त अध्यक्ष महोदया नगर निगम सीमान्तर्गत 90 वार्डो की सफाई व्यवस्था का अनुबन्ध सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के तहत ए–2–जेड, सी0एण्ड0डी0एस व नगर निगम के मध्य वर्ष 2010 में हुआ था जिसके तहत घर–घर से कूड़ा उठाने, निर्धारित स्थल पर पहुॅचाने व वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना था। अनुबन्ध के तहत ए–2–जेड द्वारा कार्य न करने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी। सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत अलग–अलग टेण्डर किये गये। गंगा घाट के 14 वार्डो की सफाई व्यवस्था हेतु आई0एल0एफ0एस0 कम्पनी को कार्य दिया गया, 25 वार्डो की सफाई व्यवस्था इकोपाल एवं 30 वार्डो की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी कियाना शल्यूशन्स को दिया गया एवं शेष बचे 21 वार्डो की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गयी । जिसका कुल भुगतान सी0एस0आर फण्ड से किया गया। शर्तो के तहत प्रत्येक घर से यूजर चार्ज लेना था। लगातार सफाई व्यवस्था खराब होती जा रही है। आपसी सहमति से तय हुआ कि एक वार्ड में दो एजेन्सी अलग–अलग कार्य करे, एक कूड़ा उठाने का दूसरा कलेक्शन का, 32 वार्डो के संफाई व्यवस्था हेतु दो कम्पनियो द्वारा टेण्डर डाला गया जिसमें एक वी0वी0जी0 पूणे की कम्पनी दूसरी कियाना शल्यूशन्स प्रा0लि0 का टेण्डर आया है जिसमें कियाना कम्पनी का टेण्डर सर्वन्यून है जिसके कारण इसे सदन के समक्ष रखा गया है। इस प्रस्ताव में 32 वार्डो को स्वच्छ रखने, ठोस अपशिष्ट का कलेक्शन करने, स्ट्रीट स्वीपिंग एवं ट्रान्सपोटेशन का कार्य सम्मिलित है जिसके लिए तीन वर्ष में रू0 52.78 करोड़ का खर्च होगा। जहॉ तक 14 वार्डो में आई0एल0एफ0एस0 का कार्य अच्छा बताया जा रहा है परन्तु इस कम्पनी द्वारा टेण्डर में भाग नहीं लिया गया। सदन से पारित होने पर यह प्रस्ताव शासन को जायेगा। आवासीय भवन हेतु रू0 50 एवं अनावासीय भवन हेतु रू0 100 यूजर चार्ज लिया जायेगा।

श्री विनय साजेदा– अध्यक्ष महोदया यही पैसा नगर निगम को देकर कार्य कराया जाय तो बेहतर होगा। नगर निगम के कर्मचारी भी इसे अच्छी तरह से कर सकते है।

श्री अशोक मौर्या–अध्यक्ष महोदया नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी में इच्छा की कमी है अन्यथा नगर निगम के कर्मचारी कियाना कम्पनी से अच्छा कार्य करेंगे।

श्री सुरेश चौरसिया–अध्यक्ष महोदया यूजर चार्ज के बारे में स्पष्ट करा दें।

नगर आयुक्त–अध्यक्ष महोदया नगर निगम द्वारा जो सर्विस दी जाती है उसके बदले में यूजर चार्ज लेते है। नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है, नगर निगम को खुद अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। नगर निगम सम्पत्ति कर 43 करोड़ रखा गया है जब कि इन्दौर नगर निगम में सम्पत्ति कर कई हजार करोड़ है।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया कियाना को एक बार दो–तीन माह के लिए रखकर देखा जा जाय। कार्य अच्छा करेगी तो सदन पुनः विचार करेगी।

Mridula

महापौर
नगर निगम–वाराणसी

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया तीन वर्ष के लिए शर्तो के अधीन कार्य दिये जाने का प्रस्ताव है, संस्था के कार्य से संतुष्ट न होने पर समय से पूर्व इन्हें हटाया जा सकता है, यह शर्तो में है।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया लक्जरा कम्पनी के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे है, उनका भुगतान नही हो रहा है, विभागीय अधिकारियो को पता है कि किससे कार्य लिया गया है।

अध्यक्ष– मजदूरो का भुगतान होना चाहिए परन्तु लक्जरा कम्पनी ने मजदूरो की लिस्ट ही नही दिया तो भुगतान कैसे होगा। नगर आयुक्त समस्या का समाधान करायें।

श्री अशोक कुमार मौर्या– अध्यक्ष महोदया 90 वार्डो में आबादी के हिसाब से नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी रखे जाय। कियाना कम्पनी को कार्य न दिया जाय।

अध्यक्ष– सदन के सदस्य बताये कि इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय करना है।

श्री राजेश यादव– अध्यक्ष महोदया 03 वर्ष का एग्रीमेण्ट है, 3 से 6 माह के लिए सदन अनुमति दे दें अगर कार्य अच्छा नही करेगें तो हटा दिया जाय।

श्री विनीत सिंह– अध्यक्ष महोदया हमारे वार्ड में 25 सफाई कर्मचारी है, परन्तु 10 सफाई कर्मचारी भी कार्य नही करते है, कम्पनी का क्या भरोसा है, कम्पनी से अच्छे नगर निगम के सफाई कर्मचारी ही है। मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारी बढ़ाया जाय।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया नगर आयुक्त सर्वन्यून धनराशि के साथ कियाना को कार्य दे रहे है, आई0एल0एफ0एस0 कह रही है कि मेरा नुकसान हो रहा है आगे कार्य नही करेगे जिसे 5 लाख प्रति वार्ड दिया जा रहा है और कियाना 4.5 लाख में करने को तैयार है, पहले कम्पनी 05–06 माह कार्य करे तब ही स्थिति स्पष्ट होगी।

श्री संदीप त्रिपाठी– अध्यक्ष महोदया मेरा वार्ड नगर निगम का अन्तिम छोर का वार्ड है, जहॉ 60 प्रतिशत हिस्से में सफाई नही होती है, मेरे कहने पर भी कार्य नही होता है यह स्थिति सफाई व्यवस्था की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर सफाई निरीक्षक, सफाई सुपरवाइजर, सफाई कर्मचारी सभी में इच्छा शक्ति का अभाव है जिसके कारण सफाई व्यवस्था में प्रगति नही हो पा रही है। यदि 12 सफाई कर्मचारी प्रत्येक वार्ड में रखे जाय तो 90 वार्ड के लिए 1080 सफाई कर्मचारी होगें। संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई कर्मी को रू0 6000 एवं सफाई सुपरवाइजर को 10,000 दिया जाय तो भी दोनो को मिलाकर 52 करोड़ से कम खर्च होगा। नगर निगम अपनी इच्छा शक्ति पर कार्य कर सकता है। कम्पनी के कर्मचारी को कोई डर नही है परन्तु नगर निगम के सफाई कर्मचारी व सफाई सुपरवाइजर का वेतन रोकने का अधिकार पार्षदो को हो जाय तो सफाई में सुधार हो जायेगा।

अध्यक्ष– नगर निगम के अधिकारी सफाई कर्मचारियो से कार्य कराने को तैयार है, तो नगर निगम के सफाई कर्मचारियो से कार्य कराया जाय या कम्पनी के कर्मचारियो से कराया जाय इस पर नगर आयुक्त अपना पक्ष रखें।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया सफाई व्यवस्था में परिवर्तन आया है, सफाई के सम्बन्ध में जैसा सदन निर्णय करेगी वैसा उसका अनुपालन किया जायेगा।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया सीवर की व्यवस्था खराब होती जा रही है, सीवर का पानी पूरा शहर पी रहा है, सारे लोग प्रवासी भारतीयो के लिए चिन्तित है, सीवर की समस्या के लिए मैं रोया था परन्तु जलकल के अधिकारी ध्यान नही दे रहे है।

सीवर के सम्बन्ध में श्री अंकित यादव व श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्दू द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि सीवर की समस्या का हल हो।

Mridula

महापौर
नगर निगम-वाराणसी

अध्यक्ष– जलकल के महाप्रबन्धक को सीवर समस्या के निदान के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया था परन्तु उनके द्वारा नही लाया गया। महाप्रबन्धक को यह लगता है कि लोग कहते रहे है मेरे सेहत पर कोई असर नही होगा। जलकल के अधिकारियो को अपनी कार्य शैली नही बदलनी है। सीवर के सम्बन्ध में मेरे द्वारा खुद कहा जाता है, परन्तु समस्या में सुधार नही हो रहा है। शहर वासी जब टैक्स दे रहे है तो उन्हे शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि महाप्रबन्धक जलकल के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री नरसिंह दास– अध्यक्ष महोदया जलकल के एक जिम्मेदार अधिकारी सदन में बैठे है, सदन में चर्चा हुई थी कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन तक सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य रोका जाय परन्तु इनके द्वारा ऐसा नही किया गया, खोदकर छोड़ दिया गया। मलवा फेंकवा कर किसी तरह आने–जाने लायक किया गया, अधिकारियो का गैर जिम्मेदराना रवैया उचित नही है, जिस तरह से सीवर लाइन का कार्य कराया जा रहा है, दो–चार वर्ष में शहर की स्थिति और खराब हो जायेगी। नगर आयुक्त शहर को बचाये व सीवर समस्या का निदान कराये। 91(1) के तहत कियाना कम्पनी के माध्यम से शहर की सफाई कराने का प्रस्ताव लाया गया है, सारे पार्षदो द्वारा अपनी–अपनी भावना को रखा है, जिम्मेदारी से कार्य न करने के कारण कियाना कम्पनी पर लोगो का अविश्वास है। कियाना को घर–घर जाकर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दी गयी थी, झाडू लगाने का कार्य कियाना का नही था उसी के एवज में 50 रूपया यूजर चार्ज देना था जो उचित है, परन्तु अभी यह हमारे स्वभाव में नही आया है। शहर की सफाई व्यवस्था हेतु जो टेण्डर डाला गया है उसमें मात्र दो कम्पनी टेण्डर डाली है, अन्य कोई कम्पनी क्यों नही आयी। सफाई व्यवस्था पर नगर आयुक्त खुद मानिटरिंग करें। मेरा अनुरोध है कि इस विषय को यही बन्द करके निर्णय करें।

श्री सीताराम केशरी अध्यक्ष महोदया 4.5 लाख कियाना को दे रहे है और 5 लाख पाने वाला आई0एल0एफ0एस भाग नही ले रहा है, यह बात समझ में नही आ रही है।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त एक बार और टेण्डर करा लें।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया इस टेण्डर को जीवित रखते हुए दोबारा टेण्डर नही कराया जा सकता है, सदन चाहता है कि दोबारा टेण्डर हो तो सदन निर्णय लें।

श्री बेलाल अहमद– अध्यक्ष महोदया नगर निगम आउट सोर्सिग के माध्यम से सफाई कर्मचारी रखकर सफाई कार्य कराये कम्पनी को लाने की आवश्यकता नही है, आप निर्णय दें।

अध्यक्ष– कियाना कम्पनी के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया गया है, सदन की भावना के अनुसार इस कम्पनी से कार्य न लिया जाय। माननीय सदस्यो की भावना के अनुसार आउट सोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी रखकर नगर निगम सफाई का कार्य कराये।

श्री अफजाल अंसारी– अध्यक्ष महोदया अगले माह आचार संहिता लागू हो जायेगी 25–25 लाख का कार्य कब तक होगा इसे स्पष्ट करा दें।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता– अध्यक्ष महोदया दो वार्डो को छोड़कर शेष सभी वार्डो के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव आ गये है, 12 वार्डो का टेण्डर हो चुका है, जैसे–जैसे पत्रावली स्वीकृति होती जायेगी टेण्डर होते जायेगें आचार संहिता लागू होने के पहले कार्य हो जायेगा।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया विकास सम्बन्धी सभी प्रस्ताव स्वीकार कर दिया जाय।

उपरोक्त बात का समर्थन श्री अजीत सिंह द्वारा किया गया।

अध्यक्ष– सदन की सहमति से विकास सम्बन्धी सभी प्रस्ताव स्वीकार किये जाते है।

Mridula

महापौर

नगर निगम–वाराणसी

गोपाल प्रसाद यादव, पार्षद का प्रस्ताव दिनांक 12.2018	संकल्प संख्या
1. मेरा वार्ड जंगमबाडी गोदौलिया शहर का हृदय क्षेत्र है। क्षेत्र में देश–विदेश से यात्री यहां आते हैं। अतः क्षेत्र में चौकों को बदलकर रबड़ मोल्ड इण्टरलाकिंग व सी0सी0 ब्लाक की नाली की जरुरत है। 2. गंगा घाट का उपरी क्षेत्र होने के कारण पानी की काफी दिक्कतें है। अतः जनहित में 2 मिनी ट्यूबवेल की आवश्यकता है। उक्त कार्य अत्यन्त जरुरी है। सदन संबंधित अधिकारी को निर्देशित करनें का कष्ट करें।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्री हारुन अंसारी पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. किसी भवन संख्या में चार या विभिन्न लोगों के नाम असिस्मेंन्ट रजिस्टर में दर्ज हो व भवन में मौके के निरीक्षण के बाद यह पाया जाता है कि उक्त भवन के स्वामी पार्टीशन कर अलग–अलग भवनों में रहते हैं और भवन संख्या एक है। भवन स्वामी चाहते हैं कि नामांकन कर उक्त भवन स्वामी को अलग नया भवन संख्या दिया जाये। ताकि उक्त भवन स्वामी अपना टैक्स अदा कर सके। 2. लल्लापुरा कलां बराना शाह बाबा के पास एक मिनी ट्यूबवेल लगाया जाना जनहित में अतिआवश्यक है। उक्त क्षेत्र उँचा होने के कारण नागरिकों को पीने का पानी नही मिल पाता है। लोगों को महिलाओं को कुएं व अन्य विकल्पों से पीनें का पानी का इन्तजाम प्रतिदिन करना होता है।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula

महापौर
नगर निगम-वाराणसी

श्रीमती पूनम विश्वकर्मा पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
नगर निगम, वाराणसी के वार्ड संख्या– 20 (राजाबाजार) में निम्नलिखित स्थानों पर सड़क पूर्णतया खराब हो गयी है तथा क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट न होने के कारण अंधेरा बना रहता है। महोदया इस सन्दर्भ में नगर आयुक्त महोदय को दिनांक– 16.04.2018 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था परन्तु अबतक इस समस्या पर कोई कार्यवाही नही हुई । सड़क मरम्मत तथा जल निकासी के लिए स्थान निम्न है :– 1. अनन्ता कालोनी 2. पटेल नगर कालोनी 3. इमलाक (1) और इमलाक (2) उपरोक्त स्थानों पर सड़क मरम्मत जल निकासी तथा स्ट्रीट लाईट लगवानें के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्री शंकर साहू पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
हमारा प्रस्ताव वार्ड नं0 28 का है जो कि जायका द्वारा कुल कितनें मूत्रालय व शौचालय कितनें–कितनें लागत के बनाये गये हैं और किस वार्ड में और कब–कब बनाया गया है वे सब किसके द्वारा चिन्हित कराया गया है। उसका रख–रखाव देख–रेख कौन करता है और आगे कहा ँ बनना है। इस सदन में स्पष्ट कराया जाय और उसकी कॉपी सभी पार्षदों को दिलाया जाय, क्योंकि हमारे वार्ड में दो जगह तोड़ा गया था जो अभीतक नही बना है। पहला संदीप होटल के पास लेबर सट्टी तथा दूसरा चेतगंज थानें के बगल में । 1. जायका द्वारा क्या–क्या कार्य हुआ है और क्या–क्या होना है और किस–किस वार्ड में नगर निगम या किस विभाग में उस बजट में क्या–क्या सामग्री मंगाई गई है। उसकी जानकारी सदन को दी जाय। 2. परिवहन विभाग में कुल किनती गाड़ियां ठीकेदार से ली गई हैं तथा कहां–कहां किन–किन अधिकारियों के साथ संबद्ध है और किस–किस काम पर लगी हुई है। कूड़े गाड़ियां कम्पनी द्वारा मंगाई गयी है कि विभाग द्वारा एवं गाड़ियों पर प्रतिमाह कितना व्यय हो रहा है। इस संबंध में शासनादेश स्पष्ट किया जाय। 3. हमनें सदन में मांगा था सफाई चौकी के कुछ	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

कर्मचारियों के सभी वार्ड में स्थायी, संविदा, आउटसोसिंग कर्मचारियों की सूची अभीतक नही मिला है इसलिए हमको तत्काल 3 दिनों के अन्दर कुल कर्मचारियों की वार्ड वाईज फोटो सहित सूची दी जाय। 4. वार्ड नं0 28 कबीरचौरा अस्पताल के बगल वाली गली जो संगीत कलाकारो का आवास है। और कबीर मठ जाने वाला मार्ग है,इस मार्ग के शुरूआत में 1 बडा गेट बनवाया जाय ताकि कबीरचौरा का जो पहचान है जो इन सब कलाकारो के नाम से बना रहे। 5. जो कम्पनी सफाई का कार्य कर रहा हैं घर–घर कुडा उठान का कार्य सही नही है,उससे सफाई का कार्य वापस ले लिया जाय,और किसी अन्य कम्पनी को दिया जाय।	

श्री पूर्णमासी गुप्ता पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. पितेश्वर महादेव मन्दिर से सी. 18/35 राजेन्द्र चौरसिया से होते हुए पितरकुण्डा तालाब पश्चिमी छोर तक 10" जल निकासी व मार्डन लेन रिसेटिंग का कार्य। **2.** सी. 14/165 प्रबोध जायसवाल से सी. 14/162 विरेन्द्र सिंह तक जल निकासी हेतु 10" का पाईप लाईन व चौका रिसेटिंग। **3.** सी. 14/160–बी.14 क भैयालाल पटेल से सी. 14/160–9 काली प्रसाद वर्मा तक जल निकासी व चौका रिसेटिंग का कार्य। **4.** सी. 14/160–19 सी दरोगा जी से सी. 14/160 बी. 12 धन्नों देवी तक चौका रिसेटिंग का कार्य। **5.** सी. 14/160–15 सूरज पटेल से सी. 14/160–27 एम. जी. कान्वेंट तक चौका रिसेटिंग का कार्य। **6.** सी. 14/159 सी.6 लालजी सोनकर से सी. 14/159–17 मंजू चौरसिया से भोला गोंड से होते हुए लालचंद्र प्रजापति से राजकुमार हलवाई सी. 14/160–14 ए तक चौका रिसेटिंग का कार्य। **7.** सी. 14/150–बी भरत मौर्या के मकान से सी. 14/152 विजय चौरसिया से व 14/142 रामनगीना सिंह एडवोकेट से लेकर नन्दलाल पटेल तक चौका रिसेटिंग का कार्य। **8.** सी. 14/159 अनन्ती गेस्ट हाउस सी. 14/159–2ख खेदन सिंह के मकान तक चौका रिसेटिंग का कार्य। **9.** सी. 14/38 सराय उत्तर फाटक आकाश चौरसिया वाली	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

गली में चौका रिसेटिंग का कार्य। आदि गलियों में चौका रिसेटिंग का कार्य करानें का कष्ट करें। **10.** सोनिया रोड सत्याग्रह मार्ग के बीचो–बीच एक प्राचीन तालाब है। उस पश्चिमी छोर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे नमक सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान सत्याग्रहियों द्वारा सत्याग्रह किया गया था जो कि ऐतिहासिक है । उसी रोड से लाखों लोगो का आना जाना होता है। जिससे तालाब में भरे गन्दे पानी के वजह से दुर्गन्ध से लोगों का आना–जाना दूभर हो गया है। उपरोक्त तालाब का सफाई कराकर तत्काल सफाई कराकर सुन्दरीकरण कराया जाय। आज की सदन नगर आयुक्त को सर्वसम्मति से आदेशित करती है। जनहित को देखते हुए तत्काल कार्य कराया जाय।	

<u>श्री संजय गुप्ता पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018</u>	**संकल्प संख्या**
1. मेरे वार्ड नं0 9 सरायसुर्जन जो काफी पिछड़ा इलाका है। उसी वार्ड के कृष्ण देव नगर कालोनी में पार्क के लिए स्थान नगर निगम द्वारा चिन्हित है। पार्क काफी दयनीय है। यहा पर पार्क के नाम पर केवल जमीन पड़ा हुआ है। : आज की सदन नगर आयुक्त जी को आदेशित करती है कि उस पार्क में पाथवे व लाईटिंग व पौधा लगाकर सुन्दरीकरण करायें। 2. 2017 और 2018 में शासन द्वारा जो नगर निगम में ट्रान्सफर के लिए जो सूची आयी है किसका आया और कितनें लोग गये कितनें लोग हैं। इसकी सूची सदन में रखा जाय और इसी सूची उपलब्ध करायी जाय। 3. नगर निगम के अन्तर्गत जो भी केन्द्र और राज्य की जांच एवं सर्वे टीम आती है। हम लोगों को कोई जानकारी नही होती। यह सदन सर्वसम्मति से पास करती है कि उस टीम में महापौर एवं पार्षद को भी रखा जाय।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

<u>श्रीमती मीनू शर्मा पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018</u>	**संकल्प संख्या**
1. डुमरॉव बाग में ट्यूबवेल व पुष्कर तालाब पर ट्यूबवेल की स्थापना किया जाय। **2.** जगरनाथ मन्दिर से रामेश्वर मठ तक के0सी0ड्रेन नाली का निमार्ण। **3.** मुमुक्ष भवन से अस्सी चौराहा तक मेन सीवर लाईन 18	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula

इंच का डालनें का प्रस्ताव। 4. अस्सी चौराहा से विनोद जलपान तक मेन सीवर लाईन 18 इंच का डालनें का प्रस्ताव। 5. लेन नं0 10 से लेकर पी0एम0सी0 अस्पताल तक मेन सीवर लाईन 18 इंच लाईन डालनें का प्रस्ताव।	

राजेन्द्र कुमार मौर्य, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. नगर आयुक्त महोदय यह बतानें का कष्ट करें कि मेरे वार्ड नं0 30 अकथा निम्नलिखित स्वीकृत कार्य कौन–कौन सा है। 2. नगर आयुक्त महोदय यह बतानें का कष्ट करें कि निम्नलिखित स्वीकृत कार्यों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा। 3. नगर आयुक्त महोदय यह बतानें का कष्ट करें कि जो स्वीकृत कार्य है टेण्डर भरते समय समयसीमा पर कार्य पूरा करनें पर किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही हुआ याच नही । 4. वार्ड नं0 30 में सफाई कर्मचारियों की कमी कबतक पूरा हो जायेगा। 5. पार्षद कोटे का कार्य टेण्डर/निर्माण कबतक पूरा हो जायेगा। 6. वरुणा पार क्षेत्र में नगर निगम की मुख्य मार्ग/गलियां आजादी के बाद भी कच्चा रास्ता है कबतक पक्का हो जायेगा या नही पक्का होगा। 7. वाराणसी नगर निगम की जनता को मनमानें ढ़ंग से भवन टैक्स बढ़ाकर इन्सेक्टर द्वारा प्रताणित करना कबतक बन्द हो जायेगा। 8. वराणसी नगर निगम के अन्तर्गत जल निगम, जलसंस्थान, गंगा प्रदूषण द्वारा खुदाई करके छोड़े हुए मार्गों का निर्माण कबतक पूरा होगा। 9. पार्षदगण को नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट एक वर्ष पूरा होने के बाद भी वार्डों में नही लगाया गया। कबतक पार्षदों के वार्डों में लाईट लगाया जायेगा। जल निगम व गंगा प्रदूषण द्वारा बनाये गये सीवर की टंकी 30 प्रतिशत टूट गये हैं। उसका भुगतान भी कर दिया गया है। ढक्कन को कबतक बदले जायेंगे तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्यवाही कबतक होगा।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–सम्बन्धित अधिकारी वांछित जानकारी से अवगत करायें।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

इन्द्रदेव पटवा, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
10. वार्ड नं0 25 जोल्हा उत्तरी में सूडा के तहत लाईट लगी हुई है जो न तो जलती है न तो अभी तक लाईट की मरम्मत करवाया गया या तो लाईट के खम्भे को हटवाया जाय या लाईट मरम्मत करवानें हेतु कर्मचारी नियुक्ति किया जाय। जबसे लाईट लगा है। आज तक लाईट जला ही नही उसी खम्भे पर नयी लाईट लगवाया जाय। 11. बेलवाबीर मन्दिर सुदामापुर से सरईयां चुंगी तक सड़क क्षतिग्रस्त है शहर की सभी सड़कों का मरम्मत किया जा रहा है परन्तु इस सड़क का निर्माण व सीमेन्टेड नाली का निर्माण करवाया जाय। 12. सफाई कर्मी क्षेत्र में कम है सफाई कर्मी बढ़ानें व बीट को बढ़ाया जाय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था नही के बराबर है। 20 सफाई कर्मी नियुक्ति किया जाय। 13. प्रत्येक जोन में गली मरम्मत हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल किया जाय। 14. वार्ड नं0 25 जोल्हा में बिजली का तार बांस व बल्लियों के सहारे लटक रहा है जिससे कभी भी बड़े हादसे को निमन्त्रण दिया जा रहा है। पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया है परन्तु पोल आज तक नही लगा लेकिन बिजली बिल लिया जाता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल पोल लगवाया जाय। 15. छाई वाली पोखरी सुदामापुर से सरईयां चुंगी तक नाला के स्थान पर जल निकासी का पाईप लगवाया जाय। सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। यह नाला तीन सभासदों के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तीनों सभासदों की सहमति से यह प्रस्ताव दिया जा रहा है। 16. वार्ड नं0 25 जोल्हा उत्तरी में कियाना कम्पनी द्वारा कार्य न कराया जाय। क्षेत्र का सफाई का बाधित होगा। मनमानें ढ़ंग से कार्य न कराया जाय जनहित को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठावें। 17. स्वास्थ्य विभाग में जांच कमेंटी का गठन किया जाय। 18. परिवहन विभाग में जांच कमेंटी का गठन किया जाय।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री राजेश यादव द्वारा किया गया। **यक्ष–** सम्बन्धित अधिकारी वांछित जानकारी से अवगत करायें।

श्री रविन्द्र कुमार सिंह, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. वार्ड नं0 11 में जायका द्वारा कितनें मूत्रालय/शौचालय बनाया गया है। नये किन स्थानों पर बनना है। लंका रविदास गेट से मालवीय मूर्ति के बीच में कितनें स्थान पर बनना चाहिए। 2. स्वच्छता को लेकर निगम प्रशासन को सजग रहना चाहिए। पार्षदगण सुबह से शाम तक वार्डों में सफाई को लेकर दौड़ते रहते हैं लेकिन सफाई व्यवस्था पटरी पर नही आ रही है। वाराणसी शहर में सफाई के लिए इंदौर और गुजरात माडल का प्रयोग होना चाहिए।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष–** सम्बन्धित अधिकारी वांछित जानकारी से अवगत करायें।

Mridula

3. प्रायः शिकायत मिलती है कि शहर के मकान, दुकान एवं माल पर कर मनमाने तरीके से लगाकर जनता को भयभीत कर रहे हैं। गलत तरीके से वसूली हो रही है व धारा 213 के अन्तर्गत नामांतरण की कार्यवाही पर भी मनमाने तरीके से नाम चढ़ानें की कार्यवाही की जा रही है। **4.** वाराणसी शहर में डूडा (सी0एन0डी0एस0) द्वारा वार्डों में एल0ई0डी0 व सोडियम लगाया गया है जो विगत दो वर्षों से जबसे लगा है आज तक जला नही क्षेत्रों में अन्धेरा है। इन पोलों पर नगर निगम से लाईट (प्रकाश) की व्यवस्था किया जाय। **5.** हमारे वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा है अभीतक 50 प्रतिशत क्षेत्रों में ही सरकारी और संविदा कर्मियों को लेकर कार्य हो पा रहा है। 50 प्रतिशत क्षेत्र पूरे तरीके से छूटा हुआ है जिस भी कम्पनी से क्षेत्र (वाडी) में कार्य कराया जाय वह पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या लेकर वार्ड में आये जिससे सभी बीटों पर कार्य हो सके कियाना या किसी भी अन्य कम्पनी द्वारा मनमानें ढ़ंग से कार्य न कराया जाय। जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाय।	

<u>**श्री विपुल गुजराती, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018**</u>	**संकल्प संख्या**
1. माननीय अध्यक्ष जी नगर आयुक्त द्वारा नगर के समस्त वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है जिससे जनता को काफी राहत मिल रही है लेकिन वहीं पर देखा जाय तो सामान्य विभाग व आलोक विभाग द्वारा भी एक अभियान चलाया जाय कि कौन सी रोड, गली में गड्ढ़ा एवं मेनहोल गली पीट क्षतिग्रस्त है उनकी भी मरम्मत करानें की व्यवस्था तत्काल करायी जाय। कौन स्ट्रीट लाईट गलियों एवं मार्गों पर बन्द है उसे भी तत्काल ठीक करानें की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय आज की सदन आपके माध्यम से नगर आयुक्त को आदेशित एवं निर्देशित करती है कि तत्काल समान्य विभाग एवं आलोक विभाग की व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्य करानें की उचित व्यवस्था की जाय। **2.** माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय नगर आयुक्त से जानकारी चाहता हूँ कि कोतवाली जोन के अन्तर्गत वार्ड चौक एवं कोतवाली में ना कोई ए0ई0 है और न चौक वार्ड में कोई जे0ई0 है। माननीय अध्यक्ष जी जानकारी करानें के बाद भी जे0ई एंव ए0ई की नियुक्ति नही हुई है जिसके कारण अभीतक चौक वार्ड के अन्तर्गत पार्षद कोटे का कोई भी प्रस्ताव को यह बतानें का कष्ट करें कि जे0ई0 एवं ए0ई0 की नियुक्ति चौक वार्ड में कबतक होगी तथा कबतक पार्षद कोटे का काम होगा। आज की सदन नगर आयुक्त महोदय से जानकारी चाहती है। **3.** आज दिनांक– 15.12.2018 की साधारण सभा की बैठक में माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत व 14वें वित्त के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नाली एवं सड़क सुधार कार्य हेतु स्थापना निधि के अन्तर्गत मोहल्ला गोलघर दुल्हन जी रोड, पराड़कर भवन नेहरु मार्केट, कृपलानी मार्केट अग्रसेन कन्या	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष–** सम्बन्धित अधिकारी वांछित जानकारी से अवगत करायें।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

इण्टर कालेज की निविदा मांग की गयी थी जो दिनांक– 02.10.2018 को दो ठेकेदार द्वारा निविदा डाली गयी लेकिन बड़े दुख का विषय है कि ठेकेदारों द्वारा इस कार्य को कब प्रारम्भ कराया जायेगा। अब कुछ दिनों में वाराणसी महानगर में भारतीय प्रवासी लोगों का आगमन होगा। यह प्रमुख मन्दिरों व गंगा घाटों को जानें वाली मेन रोड है। नगर आयुक्त महोदय को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल पत्रावली मंगाकर कार्य करानें की व्यवस्था सुनिश्चित करें।	

श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	**संकल्प संख्या**
1. कियाना कम्पनी द्वारा सफाई (कूड़ा उठान) की व्यवस्था कुछ वार्डों में कार्य कराया जा रहा है। कियाना कम्पनी का कार्य अत्यन्त असन्तोष जनक है। क्षेत्रीय पार्षदगण भी समय–समय पर समुचित कूड़ा उठान न होने पर बराबर शिकायत करते आ रहे है। ज्ञात हुआ है कि इस फर्म को 32 वार्डों की सफाई की जिम्मेंदारी उच्च अधिकारियों की मिलिभगत से सौपनें की साजिश रची जा रही है। जबकि उक्त फर्म के पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध नही है। अतः आज की सदन नगर आयुक्त को निर्देशित करती है कि कियाना को सौंपे गये वार्डों की सफाई व्यवस्था नगर निगम कर्मचारी से कराया जाय अथवा किसी अन्य फर्म को आदेशित किया जाय जिसके पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध हो।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्रीमती ताहेरा परवीन, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	**संकल्प संख्या**
1. कियाना फर्म द्वारा सफाई की व्यवस्था कुछ वार्डों में कार्य कराया जा रहा है। कियाना कम्पनी का कार्य अत्यन्त असन्तोष प्रद है। क्षेत्रीय पार्षदगण भी समय–समय पर समुचित सफाई न होने पर बराबर शिकायत करते आ रहे है। ज्ञात हुआ है कि इस फर्म को 32 वार्डों की सफाई की जिम्मेंदारी उच्च अधिकारियों की मिलिभगत से सौपने की साजिश रची जा रही है। जबकि उक्त फर्म के पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध नही है। अतः आज की सदन नगर आयुक्त को निर्देशित करती है कि कियाना को सौंपे गये वार्डों की सफाई व्यवस्था नगर निगम कर्मचारी से कराया जाय अथवा किसी अन्य फर्म को आदेशित किया जाय जिसके पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध हो।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula

श्रीमती मीरा देवी, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1.कियाना फर्म द्वारा सफाई की व्यवस्था कुछ वार्डो में कार्य कराया जा रहा है। कियाना कम्पनी का कार्य अतयन्‍ असन्तोषप्रद है।क्षेत्रीय पार्षदगण भी समय–समय पर समुचित सफाई न होने पर बराबर शिकायत करते आ रहे है। ज्ञात हुआ है कि फर्म को 32 वार्डो की सफाई की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की मिलिभगत से सौपने की साजिश रची जा रही हैं जबकि उक्त फर्म के पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। अतः आज की सदन नगर आयुक्‍त को निर्देशित करती है कि कियाना को सौंपे गये वार्डो की सफाई व्यवस्था नगर निगम कर्मचारी से कराया जाय अथवा किसी अन्य फर्म को आदेशित किया जाय जिसके पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध हो।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्री अशोक मौर्या, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. पार्वती नगर कालोनी, पाण्डेयपुर में दो पार्क सुन्दरीकरण कराने के सम्बन्ध में। 2. शिव नगर कालोनी पाण्डेयपुर में दो पार्क सुन्दरीकरण कराने के सम्बन्ध। 3. पंचकोशी मार्ग पाण्डेयपुर ठकुरापुर भारतीय स्टेट बैंक में पार्क सुन्दरीकरण कराने के सम्बन्ध में। 4. कियाना का कूड़ा घर–घर उठानें का कार्य से संतुष्ट जनता नहीं है। इसका कार्य ठीक नहीं है।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्रीमती शीला भारतद्वाज, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. मेरे वार्ड नं0 27 बिरदोपुर में गिरिनगर में नगर निगम के पार्क में सुन्दरीकरण और पाथवे की व्यवस्था। 2. शंकरपुरी पार्क में सुन्दरीकरण पाथवे की व्यवस्था। 3. मेरे वार्ड नं0 27 बिरदोपुर में नगर निगम की एक भी प्राईमरी पाठशाला नही है। शंकरपुरी पार्क में एक प्राईमरी पाठशाला की व्यवस्था की जाय। 4. बैजनथ्था मण्डी से निरोगा आश्रम तक सीसी रोड की व्यवस्था। 5. विनायका पार्क का सुन्दरीकरण कराया जाय। 6. एन. 16/32 रमापति यादव के मकान तक सीसी रोड और इण्टरलाकिंग का कार्य। 7. कियाना फर्म द्वारा सफाई की व्यवस्था कुछ वार्डो में कार्य कराया जा रहा है। कियाना कम्पनी का कार्य अत्यन्त असन्तोष प्रद है। क्षेत्रीय पार्षदगण भी समय–समय पर समुचित सफाई न होने पर बराबर शिकायत करते आ रहे है। ज्ञात हुआ है कि इस फर्म को 32 वार्डों की सफाई की जिम्मेंदारी उच्च अधिकारियों की मिलिभगत से सौपने की साजिश रची जा रही	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

है। जबकि उक्त फर्म के पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध नही है। अतः आज की सदन नगर आयुक्त को निर्देशित करती है कि कियाना को सौंपे गये वार्डों की सफाई व्यवस्था नगर निगम कर्मचारी से कराया जाय अथवा किसी अन्य फर्म को आदेशित किया जाय जिसके पास सफाई की समुचित साधन उपलब्ध हो।	

श्री कुंवरकांत सिंह, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 302 में नगर आयुक्त को अधिकार है कि बिना नगर आयुक्त के कोई सड़क न खोदी जाय न तोड़ी जाय न भवन सामग्री एकत्र की जाय इस धारा के तहत नगर आयुक्त नें कितनें जगह सड़क खोदनें पर व भवन सामग्री एकत्र करनें पर जुर्माना लिया। सदन को बताए और सदन सर्वसम्मति से आदेशित करती है कि नगर आयुक्त द्वारा शहर का भ्रमण करके जितनें जगह अवैध गड्ढ़े हुए हैं उसकी जांच कर अवैध गड्ढ़ा करनें वालों पर कार्यवाही करें।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्री राजेश कुमार केशरी पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित संकल्प संख्या– 40 जो सदन में रखा गया है जो मूल्यांकन सूची 2014 के अनुसार नगरीय क्षेत्र की वाणिज्य सम्पत्ति को किराये को न्यूनतम दरें रखी गयी है। ये बहुत ज्यादा है। हम सभी जनप्रतिधियों को जनता के सुविधा को देखना भी जरुरी है। अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ था दरें बढ़े होने के कारण व्यापारी काफी नाराज व दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय इस संबंध में मुझे कहना है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 95 में निगम को अधिकार है कि विशेष संकल्प द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन हो सकता है। मैं सदन से मांग करता हूँ कि एक संयुक्त समिति बनाकर जांच करके रेट तय करके सदन में विचार के बाद प्रस्ताव पारित हो। 2. मेरे वार्ड खोजवां में बहुत प्राचीन शंकुलधारा पोखरा है पोखरे के सुन्दरीकरण के लिए ह्रदय योजना से लगभग 58 लाख का कार्य हुआ है। कार्य हुए अभी एक साल भी नही हुआ है। पोखरे की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। पोखरे के फब्वारे बन्द बड़े हैं। ज्यादातर लाईट बंद पड़ी है। पोखरे में हमेशा मूर्ति विसर्जन होने से पानी काफी कम हो जाता है। पानी कम	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

होने` पोखरे में काई जम जाती है जिससे काफी कीचड़ हो जाता है। गंदगी होने से अलग–बगल के लोग काफी परेशान रहते हैं अतः आज की सदन सर्वसम्मति से यह नगर आयुक्त को आदेश देती है कि पोखरे के सुन्दरीकरण में जो समस्या है उसे तत्काल ठीक करायें।	

श्रीमती राजकुमारी गुप्ता , पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. 91(2) के तहत पिछली बैठक में मैने अपनें क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में प्रस्ताव दिया था लेकिन अबतक मेरे क्षेत्र में उस प्रस्ताव में संबंधित कोई कार्य नही कराया गया। कृपया इस संबंध में कार्यवाही करानें हेतु संबंधित को निर्देशित करनें का कष्ट करें। 2. वार्ड नं0 59 में कई गलियों में चौका उखड़ गया है जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जैसे लखरांव, श्यामा नगर कालोनी, जेपिस नगर कालोनी, न्यू कालोनी ककरमत्ता, भिखारीपुर, पटेल नगर भिखारीपुर, रानीपुर, पटियां में अगर चौका रिसेटिंग करा दिया जाय तो स्थानीय लोगों की समस्या से निजात मिल सकेगा। अतः आप से अनुरोध है कि उक्त समस्या को देखते हुए संबंधित अधिकारी के निर्देशित करें।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्रीमती कौशलया देवी , पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. दिनांक– 30.10.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वार्ड नं0 19 तुलसीपुर में स्थित प्राचीन मोती झील का कायाकल्प करनें का आदेश दिया था जो अभीतक निगम प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य नही किया गया है जो बड़े दुख की बात है। बड़े दुख की बात है कि काफी दिनों से कहनें के बाद भी कियाना सैल्यूसन द्वारा वार्ड नं0 19 तुलसीपुर में कभी भी	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

सन्तोषजनक कार्य नही किया है। वार्ड में कम से कम छः रिक्सा चलाना चाहिए लेकिन दो रिक्सा से ज्यादा कभी नही लगाया गया इसको तत्काल नगर नगर निगम, वाराणसी से हटाया जाना चाहिए।	

श्री चन्द्र नाथ मुखर्जी , पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 11.12.2018	संकल्प संख्या
1. सभी वार्डों में कम से कम 100 फ्रेम ढक्कन (गुणवत्ता युक्त) सीवर हेतु देने का आदेश प्रदान करें जिससे आयेदिन क्षेत्रों के पार्षदों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह न हो पाये। **2.** महोदया वाराणसी महानगर में जलकल द्वारा सीवर सफाई का जो काम किया जा रहा है उसमें सुधार के साथ घरों के बाहर गलियों में स्थित छोटी हौदियों को भी साफ करनें का निर्देश दिया जाय ताकि जनता का उत्पीड़न न होने पाए एवं दूषित जल से जनता को छुटकारा मिल सके। **3.** प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हुए घाट किनारों के वार्डों में मूलभूत सुविधाओं (क्षतिग्रस्त गलियों का निर्माण, सीवर सफाई, नियमित झाडू लगना एवं स्ट्रीट लाईट) की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर ठीक करवानें का निर्देश दिया जाय। **4.** प्रवासी भारतीय सम्मेलन को दृष्टिगत रखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों एवं प्रमुख घाटों पर (आटो, ई–रिक्शा, साईकिल रिक्शा, नाव एवं मोटर बोट) के दरों का रेटबोर्ड बड़े अक्षरों में लगवानें का निर्देश दिया जाय। **5.** वाराणसी नगर निगम सीमा अन्तर्गत प्राचीन क्षेत्रों में सड़कों एवं गलियों के बार–बार पुनरोद्धार के कारण सड़कों एवं गलियों का स्तर काफी उँची हो रही है। पुरानें भवनों का ग्राउण्ड फ्लोर काफी नीचा होता जा रहा है, जिसके कारण बरसात के दिनों एवं सीवर जाम होने के कारण गली मोहल्लों एवं सड़कों पर सीवर एवं बरसात का पानी जमा हो जाता है और नागरिकों को बेहद कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः पूरे नगर निगम सीमान्तर्गत निर्माण कार्य (गलियों एवं सड़कों का पुनरोद्धार) को पुरानें स्तर से किया जाय। **6.** नगर निगम में घटिया काम (गुणवत्ता विहीन) कार्य करनें वाले फर्म को टेण्डर डालनें की अनुमति न दिया जाय, तो भी अधिकारी व कर्मचारी अपनें चहेते ठेकेदारों के फर्म से टेण्डर डलवानें का प्रयास करता हो, ऐसे फर्मों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी ब्लैकलिस्टेड किया जाय। **7.** नगर निगम सीमा के अन्तर्गत जनहित में एमरजेन्सी कार्यों को टेण्डर विलंबित प्रक्रिया से हटा कर अविलम्ब एजेंसी के माध्यम से करवानें का आदेश प्रदान करनें का कष्ट करें। उपरोक्त प्रस्तावों में विचार उपरांत यथाशीघ्र कार्यों को किया जाय, जिससे अविलम्ब जनता को लाभ मिल सके।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

श्री दिनेश कुमार यादव , पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. ट्रांस वरुणा के तहत वरुणा पार में पेय जल पाईप लाईन डाला जाना था क्या पूरी पाईप लाईन डाला जा चुका है या अभी बाकी है जो अमृत योजना के तहत पचास हजार कनेक्शन लगाया जाना था। अबतक कितना लगा कितना बाकी है जो बाकी है व कबतक पूरा होगा। जो भी कार्य अमृत योजना में पेयजल का कनेक्शन किया गया उस गली का मरम्मत अभीतक नही हुआ है। जिससे जनमानस को आने–जानें में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2. ट्रांस वरुणा के सीवर योजना कार्य जो चल रहा है क्या वह पूरे वरुणा पार में पूर्ण हो चुका है कि अभी बाकी है। अगर कार्य बाकी है तो वह कार्य कबतक पूर्ण होगा वहीं घरों का सीवर कनेक्शन होना था जो पूर्ण हो गया है या बाकी है। अगर बाकी है तो कितना बाकी है व कार्य कबतक पूर्ण होगा। 3. सदर तहसील से सेन्ट्रल जेल जानें वाले मार्ग काफी खराब है इस मार्ग को तत्काल किसी भी निधि से कराया जाय जिससे जनमानस को आने–जानें में हो रहे असुविधाओं से मुक्ति मिले। 4. वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में जो भी विभाग द्वारा रोड निर्माण कराया जाता है। उससे शहर के मेन रोड की नालियों व सम्पर्क रास्ते काफी नीचे हो जा रहे हैं। जिससे वर्षा के समय में गली मोहल्लों व घरों के अन्दर पानी भर जा रहा है। कोई नयी तकनीक लाया जाय जो सड़क पर लेयर चढ़ाया जा रहा है उसे बन्द करानें का कार्य हो व सड़क के लेयर को उखाड़ कर बनाया जाय। 5. जितनें भी नाले खुले हैं उसका सर्वे कराकर सम्पूर्ण नाले को ढ़कनें का कार्य व कच्चे नालों को पक्का किया जाय। वहीं जिन लोगों द्वारा नाले पर कब्जा किया गया है। उसे कब्जा मुक्त किया जाय जिससे नाले कि सफाई में कोई रुकावट न हो। 6. नगर निगम क्षेत्र में हो रहे वाहन धुलाई का कार्य खुलेआम मेन रोडों के किनारे किया जा रहा है। जिससे आने–जानें वालों के उपर गन्दा पानी के छींटें पड़ते हैं व आस–पास के नाली–नाला जाम हो जाते हैं इस पर तत्काल रोक लगायी जाय व धुलाई कार्य करनें वालों को घरों में टैंक बनाकर धुलाई कार्य करनें की अनुमति दिया जाय जिससे मिट्टी व गन्दगी सीधे नाले–नालियों में न जाय। 7. वाराणसी महानगर में जगह–जगह ट्रैफिक व्यवस्था बनानें के लिए रोड डायवर्ट किया गया है पर देखा जाय तो और समस्या पैदा हो गया है जो भी अधिकारी ये व्यवस्था देख रहें	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

वह लोकल व्यापारी व जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर रोड डायवर्ट करें वहीं सदन में सुचारुरुप से व्यवस्था लागू हो एवं शहर के जाम से मुक्ति मिले सर्वसम्मति से व जनप्रतिधियों को लेकर रुट डायवर्ट किया जाय।	

श्री हारून अंसारी, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. लल्लापुरा माताकुण्ड पुलिस चौकी के गेट पर 2मी0 x 3मी0 का अवैध चबूतरा बना कर नगर निगम के चौका लगे स्थान को अवकाश के समय दिनांक– 17.11.2018 को निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है एवं नगर निगम सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नगर निगम के लगे बोर्ड को जिसमें रक्बा नं0 आराजी नं0 आदि लिखा हुआ था आज्ञा से नगर आयुक्त लिखा हुआ था उसको क्षतिग्रस्त कर उक्त बोर्ड पर अपना नाम लिख लिया है। जो नगर निगम के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है। उक्त विषय की सूचना पत्र व फोन के माध्यम से नगर आयुक्त को देने के बाद कार्यवाही शून्य क्यों ? नगर निगम सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करनें वाले पर कानूनी कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाय जो जनहित मे अति आवश्यक है एवं कानूनी कार्यवाही जरुरी है ताकि नज़ीर बन सके भविष्य में कोई नगर निगम की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त/अतिक्रमण न कर सके। **2.** लल्लापुरा काजीपुरा मैदान में पार्क बनानें हेत पर्याप्त स्थान हैं घनी आबादी के बीच कोई ऐसा स्थान नही है जहां बच्चे खेल सके व टहल सके इसलिए जनहित में अति आवश्यक है। दिनांक– 25.08.2018 को उपरोक्त प्रस्ताव दे दिया था राजस्व विभाग से नकल हेतु यह स्पष्ट है उक्त भूमि परती सरकारी है। **3.** लल्लापुरा पौसरा आदि क्षेत्रों में पीने के पानी की काफी समस्या है क्षेत्र उंचाई पर होने के कारण पानी नही पहुंच पाता है इस लिए जनहित में एक मिनी ट्यूबवेल लगानें की आवश्यकता है ताकि पीने के पानी की किल्लत उठा रहे लोगों को माताओं और बहनों को बाहर से जाकर पानी न लाना पड़े। देश विदेश के सैलानी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खॉ का रौजा देखनें आते रहते हैं। बाहर कूंए से पानी भर रहे लोगो व माताओं, बहनों व बच्चों की फोटो लेकर जाते हैं क्या संदेश बनारस/काशी से लेकर जाते होंगे यह सदन को अवगत करा रहा हूँ। **4.** लल्लापुरा कलां वार्ड 73 मे झाड़ू, कूड़ा उठान किसी प्राईवेट एजेन्सी से न कराया जाये, आउटसोर्सिंग व ठीकेदार के दोबारा निविदा कर आवश्यकता अनुसार वार्डों में सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाये ताकि स्वच्छता मिशन को और ज्यादा अच्छी तरह से वार्डों को सफाई व्यवस्था हो सके।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula

श्री अजीत सिंह, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. 32 वार्डों को जो झाड़ू, कूड़ा व सफाई का कार्य कियाना को देने का प्रस्ताव अधिकारियों द्वारा आया है, जो अत्यन्त दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है आज तक कियाना द्वारा जिस भी वार्ड में मात्र कूड़ा उठान का कार्य किया है वहीं के लगभग सभी पार्षदों का प्रस्ताव इनके खिलाफ आया है इनका कार्य सौ प्रतिशत खराब व सही नही था। इस ऐजेन्सी को वाराणसी में कोई भी सफाई संबंधित कार्य न दिया जाय।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्रीमती सीता शर्मा, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. कियाना द्वारा वार्ड नं0 14 नवाबगंज में कराया जा रहा कार्य बहुत गंन्दा व सही नही है, इस कम्पनी को तत्काल ब्लैकलिस्टेड किया जाय व इसके खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाय।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्रीमती कौशल्या बिन्द, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. वार्ड नं0 19 तुलसीपुर में कियाना द्वारा बहुत ही खराब व गन्दा कार्य कराया जा रहा है, इस ऐजेन्सी को तत्काल शहर से बाहर किया जाना जनहित में सही कार्य होगा। 2. वार्ड नं0 19 तुलसीपुर में प्राचीन मोती झील को दिनांक– 30.10.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कायाकल्प का आदेश दिया गया था जो अभीतक कोई भी कार्य नही हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश कोरा झूठ साबित हो रहा है।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्रीमती शशि यादव, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. वार्ड नं0 32 सिगरा में कियाना कम्पनी से कराया जा रहा कार्य अत्यन्त खराब व निन्दनीय था इस कम्पनी को तत्काल इनके उपर उचित कार्यवाही करते हुए अब इनको वाराणसी शहर सफाई संबंधित कोई भी कार्य न दिया जाय नही तो नगर निगम प्रशासन की शाख गिरेगी। 2. जलकल दोबारा सीवर सफाई का कार्य जो ठेकेदारों को दिया गया है। इनको किस तरह का टेण्डर दिया गया है क्या इनका मानक है कितनें आदमी रखकर कार्य करायेंगे। इनकी पूरी सूची पार्षदगण को दिया जाय। 3. माननीय अध्यक्ष जी जूड़िया गली 150 मीटर सीवर पाईप लाईन डालनें के लिए कहा गया तो गंगा प्रदूषण रेफर कर दिया गया। पाईप लाईन ध्वस्त है सीवर भरा है। कोई भी कार्यवाही नही हुआ।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula

श्रीमती रेशना परवीन, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. नगर निगम की इस सदन को निर्वाचित हुए पूरे एक वर्ष हो गये लेकिन अभी मा0 पार्षदों को क्षेत्रवार (वार्ड वाईज) सफाई कर्मियों की सूची उपलब्ध नही करायी गई तथा सफाई सुपरवाईजरों का एरिया (वाडे) तक नही बांटा गया है क्योंकि इस बार नगर निकाय का निर्वाचन नये परिसीमन पर हुआ जिसमें वार्ड के कई मोहल्ले इधर-उधर वार्ड में सम्मिलित होने के कारण सुपरवाईजर एक दूसरे वार्डों में जा-जा कर देखना पड़ रहा है जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है अतएव वार्ड अनुसार सफाई कर्मियों व सुपरवाईजरों की नियुक्ति हो और सारे मा0 पार्षदों को सूची उपलब्ध करायी जाय। **2.** नगर निगम के कुछ वार्डों में प्राईवेट कम्पनियों के द्वारा कार्य लिया जा रहा है जो कि दो शिफ्टों में कार्य है बाकी उन वार्डों में जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं उन वार्डों में सिर्फ एक टाईम सफाई हो रही है, अतएव सदन चाहता है कि उक्त वार्डों में सफाई को दो शिफ्टों में करायी जाय जिससे नगर निगम के कर्मचारी कार्यरत हैं। **3.** नगर निगम प्रत्येक 90 वार्डों का पिछले एक वर्षों से सिर्फ स्ट्रीट लाईट लगवानें हेतु सिर्फ कोरा आश्वासन निगम के द्वारा मिल रहा है कभी सर्वे के नाम तो कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर। ये सदन चाहती है कि पहले सभी माननीय पार्षदों के वार्डों में आवश्कतानुसार स्ट्रीट लाईटों को मा0 पार्षदों के माध्यम से दिया जाय। **4.** नगर निगम के जलकल विभाग जल निकासी व पेयजल पाईप डालनें हेतु कई बार हम पार्षदगण लिखित व मौखिक अवगत कराते हैं लेकिन विभाग पेयजल पाईप हेतु सीधे जल निगम की ओर इशारा करता है कि पाईप लाईन जल निगम डालता है और जब सीवर लाईन के संबंध में कहा जाता है तो बजट ना होने का रोना रोया जाता है। वार्डों में कई बार ऐसा होता है कोई सीवर लाईन ध्वस्त व जर्जर हो या बैठ जाती है जिसको तत्काल में मरम्मत कराना अतिआवश्यक हो जाता है जिसको 20-25 मीटर सीवर लाईन और पेयजल पाईप लाईन डालनें में जलकल कतराने लगता है। अतएव ये सदन चाहती है कि जनहित में उन स्थानों पर अति आवश्यक पेयजल व सीवर लाईन डालनें हेतु और जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए त्वरित कदम उठायें।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**-प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

श्री प्रशांत कुमार सिंह, पार्षद का प्रस्ताव, दिनांक 12.12.2018	संकल्प संख्या
1. वार्ड नं0 37 जगतगंज के तेलियाबाग एस. 13/मरीमाई मन्दिर के सामनें से एक नाला है नाला में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। यहां पर क्षेत्रीय जनता को कूड़ा कचरा व सिल्ट भरा होने के	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री सीताराम केशरी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**-प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता हैं।

Mridula
महापौर

कारण बदबू व तमाम बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। एक महीने पहले आधा अधूरा सफाई किसी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था जिसकी जानकारी पार्षद के पास नही थी। अतः यह सदन नगर आयुक्त को आदेशित व निर्देशित करती है। इस नाले को कौन ठेकेदार साफ करवारहा था क्यों अधा–अधूरा नाला साफ किया इसे स्पष्ट करनें का कष्ट करें और पूरा नाला साफ करवायें और पार्षद से प्रमाणित भी करायें।	

अध्यक्ष– आज की बैठक दिनांक 25.01.2019 अपरान्ह 02.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

Mridula

(मृदुला जायसवाल)

अध्यक्ष/महापौर

महापौर

नगर निगम-वाराणसी